उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून

(मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरुप पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन गठित संस्था)
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोंवाला रोड, देहरादून– 248001
फोन नं०: 0135 2532 850 फैक्स नं०: 2532 811 E-mail: **uttarakhandawb@gmail.com**
website : http://ahd.uk.gov.in/pages/display/132-uttarakhand-animal-welfare-board

कार्यालय पत्रांक 2587-91 **Ukd.AWB(33 AWBI)/2020-21** दिनांक : 19 नवम्बर, 2020

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद ऊधमसिंहनगर।

विषय : भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 को प्रेषित पत्र के क्रम में।

महोदय,

कृपया पशुपालन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन गठित भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड (AWBI : Animal Welfare Board of India) द्वारा आपको सम्बोधित परामर्शी पत्रांक 9-14/2020-21-PCA 88 दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 **(संलग्नक–1)** का संज्ञान लेना चाहेंगे, जिसमें AWBI द्वारा निराश्रित अवश्ववंशीय पशु को शरण दिये जाने तथा चिकित्सीय प्रबन्धन सुनिश्चित किये जाने के क्रम में उचित कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है।

तद्क्रम में ध्यानाकर्षण कराना है कि, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा Cr. Misc. Appl. No.1526/2016 (पूजा बहुखण्डी बनाम उत्तराखण्ड सरकार) पर दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 को दिये गये आदेश तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 112/2017 (अलीम बनाम उत्तराखण्ड सरकार) पर दिनांक 10 अगस्त, 2018 को दिये गये आदेश के अनुरुप नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक नगर निकाय द्वारा निराश्रित पशुओं को शरण दिये जाने हेतु कांजी हाउस/शरणालय की स्थापना की जानी है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतीराज विभाग द्वारा 25–25 गांवों के समूह के बीच, एक–एक कांजी हाउस/शरणालय की स्थापना की जानी है। मा० उच्च न्यायालय आदेश के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या 1930/गृह अनुभाग–3 दिनांक 11 नवम्बर, 2016 **(संलग्नक–2)** के पैरा–8 में राज्य के शहरी क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं हेतु शरणालयों की स्थापना की अपेक्षा की गई है। तद्क्रम में शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा, शासनादेश संख्या 44/वि०आ०निदे०–अन्य अनुदान (च०रा०वि०आ०)/2017 दिनांक 28 अप्रैल, 2017 **(संलग्नक–3)** के अनुरुप राज्य के नगर निकायों अन्तर्गत निराश्रित पशुओं हेतु अवस्थापना विकास मद में ₹ 10.00 करोड का बजट प्राविधान किया गया है। इस क्रम में नगर निकायों द्वारा शहरी विकास निदेशालय को डी०पी०आर० आगंणन प्रेषित किया जाना अपेक्षित है। मा० उच्च न्यायालय आदेश के क्रम में पशुपालन विभाग द्वारा समस्त निराश्रित पशुओं हेतु निःशुल्क पशुचिकित्सा एवं अन्य विभागीय सेवाऐं दिये जाने की अपेक्षा की गई है। इस क्रम में सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या 1038/XV-1/2016/7(9)14 दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 **(संलग्नक–4)** के अनुरुप दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

अनुरोध है कि, कृपया उक्त प्रकरण पर, शासन के दिशा–निर्देशों के अनुरुप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के क्रम में सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करेंगे।

भवदीय,

Prachi 21/12/2020
LA DNA – 1781
22/12/2020

(डा० के०के० जोशी)
सचिव उ0प0क0 बोर्ड
निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड
देहरादून

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद ऊधमसिंहनगर।
2. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद ऊधमसिंहनगर को इस आशय के साथ कि, कृपया शासनादेश संख्या 1038/XV-1/2016/7(9)14 दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 के अनुरुप निराश्रित पशु को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड को इस आशय के साथ कि, उत्तराखण्ड राज्य से प्राप्त अनुदान प्रस्तावों पर AWBI स्तर से यथाशीघ्र कार्यवाही कर सहयोग करने का कष्ट करेंगे।

4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सितारगंज को इस आशय के साथ कि, कृपया शासनादेश संख्या 44/वि०आ०निदे०–अन्य अनुदान (च०रा०वि०आ०)/2017 दिनांक 28 अप्रैल, 2017 के आलोक में नगर पालिका परिषद अन्तर्गत निराश्रित पशुओं हेतु शरणालय की स्थापना के क्रम में शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से उत्तराखण्ड शासन को डी०पी०आर० एस्टीमेट प्रेषित करने का कष्ट करेंगे। इस क्रम में यह भी अवगत कराना है कि, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा–9(g), 9(h), 9(i) के आलोक में AWBI द्वारा भी पिंजरापोल/पशुशरणालयों की स्थापना हेतु 90% प्रतिशत (अधिकतम ₹22.50 लाख तक) अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है। अतः नगर निकाय द्वारा स्थापित पशुशरणालय की क्षमता विकास हेतु भारत सरकार के अधीन गठित AWBI अन्तर्गत भी आवेदन प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकता है।

(डा० के०के० जोशी)
सचिव उ०प०प० का बोर्ड
निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड
देहरादून